न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग), पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राधेश्याम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2020

1. छोगी पत्नी बाबूलालजी,
2. गंगा पत्नी सकारामजी
3. चौथी पत्नी विरमरामजी,
4. केसाराम पुत्र पूनारामजी
5. हंजा पत्नी पूनारामजी
6. ममता पुत्री पूनारामजी
7. विरमराम पुत्र राईगजी
8. रमेश पुत्र पूनारामजी,

समस्त जातिगण जणवा चौधरी, निवासीगण लालराई, तहसील बाली, जिला पाली

... अपीलाण्ट

बनाम

राज. राज्य जरिये तहसीलदार, बाली, जिला पाली (राज.)

... रेस्पोडेण्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 15/10/2020

1. कि उपरोक्त अपील धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् ग्राम लालराई, पटवार हल्का सेसली के म्यूटेशन संख्या 433 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 16.07.2017 को अस्वीकृत करने के विरूद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा पेश की गई, जो दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये समन तलब किया गया। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।
2. कि अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 433 ग्राम लालराई के खसरा नं. 226 रकबा 5.40 हैक्टेयर भूमि बाबत् में दिनांक 10.06.2006 को ग्राम पंचायत सेसली द्वारा देवा, हुकमा, छोगला, रतीया पिसरान भीका, नारायण पिसरान मेघा, मेघा, माना पिसरान खुशाल एवं चुनीया पुत्र पुरा के फौतेदगी के संबंध में स्वीकृत किया गया था। उसके बाद उपरोक्त मृतको के वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में उक्त फौतेदगी म्यूटेशन से दर्ज किये गये। जिस पर मृतको के वारिसान ने आगे से आगे भूमि विकय की, जो अंतिम रूप से अपीलाण्ट्स द्वारा कय की गई और अपीलाण्ट्स खातेदार है।
3. कि अपीलार्थी ने सर्वप्रथम धारा 5 आवेदन बाबत् निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में दर्ज खातेदार अपीलाण्ट्स को नोटिस दिये बिना ही अपीलाण्ट्स

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)

के नाम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरित हटा दिये, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.02.2020 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई, जिस पर संबंधित म्यूटेशन की नकल हेतु आवेदन दिनांक 17.02.2020 को दिया गया, जहाँ से दिनांक 18.02.2020 को नकल प्राप्त होने पर उपरोक्त अपील सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर अवधि पेश की, जो अन्दर म्याद शुमार की जावें।

4. कि उपखण्ड अधिकारी, वाली के न्यायालय में म्यूटेशन संख्या 433 के संबंध में दिनांक 13.03.2012 को म्यूटेशन अपील धर्मा के पुत्र अमृतलाल द्वारा पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 24.06.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट, सेसली में निर्णित की गई और उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 433 को मृतक माना पुत्र खुशाल, देवा पुत्र गांगा एवं रता पुत्र गांगा के हद तक निरस्त करते हुए तहसीलदार, वाली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि तीनों मृतकों के वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से वारिसान का नाम दर्ज किया जावें, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली द्वारा अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध संपूर्ण म्यूटेशन संख्या 433 को निरस्त कर दिया, जबकि अपीलीय न्यायालय ने केवल मृतक माना पुत्र खुशाल, देवा पुत्र गांगा एवं रता पुत्र गांगा के हद तक ही म्यूटेशन को निरस्त किया था, शेष इन्द्राज को यथावत् रखा गया था, लेकिन बिना निर्णय का अवलोकन किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण म्यूटेशन को निरस्त करके उपरोक्त म्यूटेशन के पूर्व इन्द्राज कर दिये, जो अवैध है। इसलिए अपील स्वीकार की जावें और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुरूप ही तीनों मृतको के हद तक म्यूटेशन को निरस्त कर शेष म्यूटेशन को बहाल रखे जाने बाबत् आदेश पारित किया जावें।

5. कि रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन को विधिनुसार अस्वीकृत किया गया है, इसलिए अपील खारिज की जावें।

6. कि दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहाँ तक धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन का प्रश्न है, चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अर्थात् म्यूटेशन संख्या 433 अस्वीकृत करते समय राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में दर्ज खातेदार अपीलाण्ट्स को नोटिस नहीं दिया और एकपक्षीय ही, बिना सुने ही अस्वीकृत का आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स को पूर्व में नहीं हो सकी थी। अपीलाण्ट्स के आवेदन और शपथ पत्र का रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई जवाब अथवा खण्डन पेश नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में विलम्ब को माफ कर प्रकरण को मैरिट पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, इसलिए धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. कि जहाँ तक मैरिट का प्रश्न है, उपरोक्त अपीलधीन म्यूटेशन संख्या 433 को दिनांक 16.07.2017 को अस्वीकृत करने के विरूद्ध उक्त अपील पेश हुई है। म्यूटेशन अस्वीकृत करने का आदेश दिनांक 16.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 5/2012 निर्णय दिनांक 24.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के निर्णय के आधार पर पारित करना बताया है। हमने अपील संख्या 5/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 का अवलोकन किया, जिस अनुसार उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 433 को अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली ने माना पुत्र

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

खुशाल, देवा पुत्र गांगा एवं रता पुत्र गांगा के दाखिल वारिसान के नाम तक ही निरस्त किया है, शेष म्यूटेशन को निरस्त करने का कोई आदेश अपीलीय न्यायालय ने नहीं दिया है अर्थात् म्यूटेशन में वर्णित शेष इन्द्राज यथावत् रखे है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण म्यूटेशन में दर्ज किये गये इन्द्राज को निरस्त कर दिया, जो विधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वर्णित निर्देशो की पालना करना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है।

8. लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन संख्या 433 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2017 द्वारा अस्वीकृत करने के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, वाली द्वारा म्यूटेशन अपील संख्या 5/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 में पारित आदेश अनुसार मृतक माना पुत्र खुशाल, मृतक देवा पुत्र गांगा एवं मृतक रता पुत्र गांगा के दाखिल वारिसान की हद तक ही म्यूटेशन संख्या 433 को निरस्त करते हुए उक्त मृतको के वारिसान की विधिक जांच की जावें तथा म्यूटेशन संख्या 433 के कॉलम नम्बर 9 में वर्णित शेष इन्द्राज न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में यथावत् यथावत् विधिनुसार व नियमानुसार पालना की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 15/10/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)
पाली (राज.)